राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांकः प.27(7)न्याय/2014 जयपुर, दिनांक 04-08-2023

:: परिपत्र ::

विषयः–कनिष्ठ विधि अधिकारीगण के पद पर 2 वर्ष का परिवीक्षाकाल पूर्ण होने पर वेतन नियमितिकरण बाबत।

विधि एवं विधिक कार्य विभाग के अन्तर्गत कनिष्ठ विधि अधिकारी के 156 रिक्त पदों पर दिनांक 19.09.2019 को राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती विज्ञापित की गई। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की सूची विभाग को उपलब्ध कराये जाने पर चयनित अभ्यर्थियों को विभाग के आदेश दिनांक 11.08.2021 के द्वारा 106 अभ्यर्थियों, दिनांक 27.09.2021 द्वारा 35 अभ्यर्थियों, दिनांक 27.09.2021 द्वारा 4 अभ्यर्थी, दिनांक 29.11.2021 द्वारा 3 अभ्यर्थियों, दिनांक 31.12.2021 द्वारा 2 अभ्यर्थियों, दिनांक 14.02.2022 द्वारा 1 अभ्यर्थी एवं दिनांक 02.08.2022 द्वारा 1 अभ्यर्थी के नियुक्ति आदेश जारी किये जा चुके है।

उक्त कनिष्ठ विधि अधिकारीगण का 2 वर्ष का परिवीक्षाकाल निकट समय में पूर्ण होने जा रहा है, जिसके फलस्वरूप वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना प.15(1)वित्त/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017 के नियम 17 एवं राजस्थान सेवा नियम के नियम 24 के अनुसरण में उक्त कार्मिकों का वेतन नियमितिकरण किया जाना है।

अतः संबंधित कनिष्ठ विधि अधिकारीगण को वेतन नियमितिकरण हेतु संबंधित विभाग के मार्फत से निम्न सूचना इस विभाग को भिजवाने हेतु निर्देशित किया जाता हैः–

"कनिष्ठ विधि अधिकारी द्वारा 2 वर्ष का परिवीक्षाकाल पूर्ण कर लिया गया है। प्रोबेशन अवधि में इनका कार्य संतोषजनक/अच्छा रहा है। इनके विरूद्ध किसी प्रकार की कोई विभागीय जांच/शिकायत लम्बित नहीं है। इनका वेतन नियमितिकरण हेतु आवश्यक सूचना निम्नानुसार भिजवाई जा रही हैः–

मेरिट नं.	नाम व पदनाम	पदस्थापन विभाग	जन्म दिनांक	नियुक्ति आदेश क्रमांक	उपस्थिति/कार्यग्रहण दिनांक	परिवीक्षाकाल पूर्ण करने की दिनांक	लिये गये अवैतनिक अवकाश	कार्य व्यवहार टिप्पणी	विभागीय जांच/शिकायत लम्बित है अथवा नहीं (विवरण अंकित करें)

"

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
2. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. राजस्थान विधि सेवा संवर्ग के समस्त कनिष्ठ विधि अधिकारीगण।
4. प्रोग्रामर, विधि विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. संबंधित विभाग/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव